

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-1205 वर्ष 2017

जय सिंह स्वांसी, पे0 खुदी राम स्वांसी, निवासी ग्राम-बुंड़ू, डाकघर एवं थाना-बुंड़ू,
जिला-रांची याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य ।
2. सचिव, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-रांची ।
3. उपायुक्त, खूंटी, डाकघर, थाना और जिला-खूंटी ।
4. जिला कल्याण अधिकारी, खूंटी, डाकघर, थाना और जिला-खूंटी ।
4. महालेखाकार (ए0 एंड ई0), झारखंड, रांची, डाकघर एवं थाना-डोरंडा, जिला-रांची
..... प्रतिवादीगण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री अफाक अहमद, अधिवक्ता

राज्य के लिए:- श्री निखिल रंजन, एस0सी0 (खान) के जे0सी0

उत्तरदाता सं0-5 के लिए :- श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता

02/दिनांक: 06 मार्च, 2017

प्रमाथ पटनायक, न्याया0 के अनुसार

तत्काल रिट आवेदन प्रत्यर्थियों को कुछ सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने और सुनिश्चित करियर प्रगति/संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति के तहत लाभ के भुगतान के लिए निर्देश देने के लिए दायर किया गया है।

2. कुछ बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि उसकी शिकायतों के निवारण के लिए, याचिकाकर्ता ने 7.09.2016 और 25.11.2016 दिनांकित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। यह निवेदन किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निपटान किया जाता है, तो याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण हो जाएगा।

3. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के भीतर सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए प्रत्यर्थी सं० 2 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता देने के साथ रिट याचिका का निपटान करना उचित होगा और वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उसका निपटान उसके बाद के आठ सप्ताह की अवधि के भीतर करेंगे। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसके बाद के आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा।

5. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)